

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 65/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/218)

1. रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

— अपीलान्त

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रेवड जाति ब्राहमण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आंवटन सलाहकार समिति जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 04.07.2023 प्रकरण संख्या 21/2019 उनवानी रमेश चन्द शर्मा बनाम कन्हैयालाल व अन्य

उपस्थित—

1. श्री राजकुमार गठाला, वकील अपीलान्त
2. श्री उमेश गौड, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.नं. 2 व 3 की ओर से

अपील संख्या 66/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/217)

1. रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

— अपीलान्त

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र रेवड जाति ब्राहमण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आंवटन सलाहकार समिति जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 04.07.2023 प्रकरण संख्या 20/2019 उनवानी रमेश चन्द शर्मा बनाम चिरंजी लाल व अन्य

उपस्थित—

1. श्री राजकुमार गठाला, वकील अपीलान्त
2. श्री उमेश गौड, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.नं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक —11.06.2024


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

- 1 यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 04.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है।
- 2 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पंचवारा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 17 बिसवा में से क्रमशः 5 बीघा 14 बिसवा भूमि का आवंटन श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड को तथा श्री चिरंजी लाल पुत्र रेवड को 5 बीघा भूमि का आवंटन 06.06.1989 के हक में किया गया था। उक्त भूमि का आवंटन योग्य नहीं होना, भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई उदघोषणा जारी नहीं किया जाना, आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं होना एवं उक्त आवंटन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाना व्यक्त करते हुये प्रार्थी श्री रमेशचन्द पुत्र मूलचन्द शर्मा द्वारा विवादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 को निरस्त करवाये जाने हेतु दो अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2023 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने के आदेश पारित किये गये हैं।
- 3 अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 04.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्त रमेशचन्द शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
- 4 अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
- 5 वकील अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो प्रार्थना पत्र 14(4) का पेश कर निवेदन किया गया था कि ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पंचवारा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 17 बिसवा में से क्रमशः 5 बीघा 14 बिसवा भूमि का आवंटन श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड को तथा श्री चिरंजी लाल पुत्र रेवड को 5 बीघा भूमि का आवंटन 06.06.1989 के हक में किया गया था। उक्त भूमि का आवंटन योग्य नहीं होना भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई उदघोषणा नहीं किया जाना, आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं होना एवं उक्त आवंटन विधि में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं किये जाने जाने से आवंटन निरस्त किये जाने जाने की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र लगभग 30 वर्ष बाद पेश किया है और आवंटनशुदा भूमि का गैर खातेदारी में अप्रार्थी के पक्ष में इन्द्राज हो चुके हैं। केवल अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के कथनों के आधार पर ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2023 को खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त ने यह तथ्य अंकित किये थे कि अप्रार्थी संख्या 1 को कभी कोई आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा काशत नहीं रहा है ना ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि पर कभी भी काशत नहीं की गई है। आवंटनशुदा भूमि का आवंटी ने लगभग 25 वर्ष पश्चात बिना किसी समक्ष रिपोर्ट के अवैध तरीके से राजस्व कारकूनान से मिलीभगत करते हुये नामान्तरकरण संख्या 154 एवं 155 खुलवाया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

प्रार्थी ने स्पष्ट कथन किया था कि अप्रार्थी द्वारा गैर खातेदारी भूमि का खातेदारी भूमि में दिनांक 29.04.2014 को राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ कर आवंटन के लगभग 25 वर्ष बाद खसरा नम्बर 14 के उप नम्बर 40/14/2 एवं 40/14/3 डालकर खातेदारी में अवैध तरीके से दर्ज किया गया है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का लगभग 55-60 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है और प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त तथ्यों पर कोई न्यायिक अवलोकन नहीं किया है उक्त प्रार्थना पत्र 14 (4) के प्रार्थना पत्र निरस्त करने में पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने न तो मौके की वस्तु स्थिति बाबत कोई मौका रिपोर्ट ही भी नहीं भगवाई गई ना ही मौके की जांच भी की गई मात्र अप्रार्थी के कथनानुसार ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। विवादित आराजीयात पर अपीलान्त के मकानात, खाम बाडे व लेट बाथ बने हुये है। तथा अपीलान्त के नाम से विजली का विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना ध्यान व अवलोकन किये ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। उक्त आवंटनशुदा विवादित भूमि पर अपीलान्त के पूर्वज मूलचन्द वल्द झूथा का नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा है। तथा वर्तमान में अपीलान्त उक्त आवंटनशुदा भूमि पर काबिज होकर काशत करता आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह किसी भी प्रकार से निर्णय की संज्ञा में नहीं आता है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा क्रमशः प्रकरण संख्या 20/2019 उनवानी रमेशचन्द शर्मा बनाम चिरंजी व अन्य एवं प्रकरण संख्या 21/2019 उनवानी रमेशचन्द शर्मा बनाम कन्हैया लाल व निर्णय दिनांक 04.07.2023 निरस्त किया जावे। तथा पत्रावली पुनः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रति प्रेषित किया जावे। तथा अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे ओर अता फरमाया जावे।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपीलान्त की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन से लगभग 30 वर्ष बाद पेश किया है। प्रार्थी ने अपने कलूषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवंटनी अप्रार्थी चिरंजीलाल व कन्हैयालाल को अकारण हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी चिरंजीलाल व कन्हैयालाल के कब्जे काशत में होने के कारण हुआ था तथा आवंटन के बाद से आज दिन तक अप्रार्थी काशत कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अप्रार्थी के कब्जे काशत का सर्वोत्तम प्रमाण सम्वत 2074-77 की खसरा गिरदावरी है जिसमें अप्रार्थी बाजरा व ग्वार की फसल काशत कर रखी है। अप्रार्थी ने सिंचाई हेतु उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन स्थापित कर रखा है। अप्रार्थी का आवंटनशुदा भूमि पर आवंटन से पूर्व व बाद में निरन्तर कब्जे काशत को आधार मानते हुये आवंटन कमेटी ने दिनांक 06.06.1989 को उक्त भूमि में से क्रमशः 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड को तथा श्री चिरंजी लाल पुत्र रेवड को 5 बीघा भूमि का आवंटन 06.06.1989 के हक में किया गया था तथा आवंटनी अप्रार्थी ने आवंटन के समस्त नियमों का विधिपूर्वक पालन करते हुये उक्त आवंटनशुदा भूमि को काशत करता रहा। जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी के हक में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 154 एवं 155 दिनांक 29.04.2014 को स्वीकार हुआ, तदोपरान्त नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 29.12.2017 स्वीकार कर आवंटनी कन्हैयालाल को एवं नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 29.12.2017 स्वीकार कर आवंटनी कन्हैयालाल को गैर खातेदारी से खातेदार के रूप में इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 14(4) लगभग 30-32 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है, जो कि अप्रार्थी चिरंजीलाल एवं

कन्हैयालाल को हैरान परेशान करने की गरज से झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। ऐसे में प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे। अतः यह अपील खारिज कर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2023 को यथावत रखे जावे।

- हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में भूमि आंवटन नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुये की प्रकरण आंवटन के लगभग 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है एवं आंवटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं, प्रकरण को निर्णित कर दिया गया है जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने का मुख्य आधार कब्जा काशत ही नियमानुसार होना अपेक्षित होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2023 के विरुद्ध दोनों अपीलें संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/218 उनवान रमेश चन्द शर्मा बनाम कन्हैयालाल एवं जीसीएमएस नम्बर 2023/217 उनवान रमेश चन्द शर्मा बनाम चिरंजीलाल की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जाँच की जाकर तदानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावे :-

- मौका कमीशनर (तहसीलदार) से विवादित भूमि के कब्जे की मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे। यदि आंवटी का कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- यदि आंवटी का कब्जा काशत नहीं पाया जाता है तो उक्त भूमि का राजकीय घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं के सम्बन्ध निर्णय लिया जावे।
- यदि किसी अन्य का पक्ष का कब्जा पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही संबंध में निर्णय लिया जाकर भूमि को कब्जेराज लिया जावे।


(डॉ० प्रवीण कुमार)
अति. सभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अति. सभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त,
जयपुर।